बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

संचिका संख्या–02/CMT–16/2014 परि0 पटना, दिनांक–

राज्य के सभी जिलों के वाहन डीलरों को उनके पूर्व से लंबित निबंधन प्रमाण–पत्र को समार्टकार्ड में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु विभागीय आदेश सं0–296 दिनांक–20.01.2017 द्वारा डीलर प्वाइंट पर निबंधन की प्रक्रिया को स्थगित किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक–23.05.2017 को प्रधान सचिव, परिवहन विभाग द्वारा किये गये विभागीय समीक्षा के अलोक में जिला परिवहन कार्यालय, मधुबनी एवं सीतामढ़ी में डीलर प्वाइंट पर वाहनों के निबंधन के संबंध में प्राप्त शिकायत की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त उक्त जिले के अन्तर्गत डीलर प्वाइंट पर वाहनों के निबंधन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।

अतः उपर्युक्त निर्णय के आलोक में जिला परिवहन कार्यालय, मधुबनी एवं सीतामढ़ी में डीलर प्वाइंट पर वाहनों के निबंधन पर अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है एवं डीलर प्वाइंट पर निर्गत सीरीज को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02/सी0एम0टी0–16/2014 परि0 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/सी0एम0टी0–16/2014 परि0 2843 पटना, दिनांक– 29/5/17

E-mail

प्रतिलिपि– जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी एवं सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उक्त विभागीय आदेश के अनुपालन में अपने–अपने जिले के सभी डीलर प्वाइंट पर वाहन निबंधन की प्रक्रिया को स्थगित किया जाय।

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।